बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–मु0 अ0–4 (मु0)–रा0यो0–03–56/2020 – 1501 /पटना, दिनांक– 26/5/2020

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

आतंरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषयः योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के समस्तीपुर एवं बेगूसराय जिला में (परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल दो निर्माण योजनाओं पर योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–उप शीर्ष–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उप शीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के समस्तीपुर एवं बेगूसराय जिला में (परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 1 पथ एवं 1 पुल निर्माण योजनाओं जिसकी लम्बाई क्रमशः 1.90 कि0मी0, 17.00 मी0, एवं कुल राशि रू0 238.02 लाख (दो करोड़ अड़तीस लाख दो हजार रू0 मात्र) है–हेतु योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

परिशिष्ट–1

Sl.No.	District	Block	Division	Name of Scheme	Length of Road in km	Length of Bridge in m	Total Cost i.e TA Amount in Lakh
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Samastipur	Warisnagar	Samastipur	समस्तीपुर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल समस्तीपुर के अधीन वारिसनगर प्रखंड के वारिसनगर कुशैया पंचायत से सुखपुर तक पथ निर्माण कार्य	1.90		139.07000
2	Begusarai	Bachhwara	Teghra	Const of Box culvert in Chatti to Tara path		17	98.95000
Total					1.90	17	238.02

1. इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इन योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड 37–4515001030105 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमो पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में **300.00** करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. संबंधित कार्यपालक अभियंता, द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, समस्तीपुर एवं मुख्य अभियंता–3 के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
7. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेगें कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नही है।
8. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
9. इन योजनाओं की योजनावार स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं0– मु0 अ0–4 (मु0) रा0यो0–03–56/2020 के पृ0 सं0–02/टि0 पर दिनांक–13.05.2020 को प्राप्त है।

G.K

22/5/2020

10. ब्राड़ा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की

11. संबंधित कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर की निकासी एवं व्ययन करेंगे।

12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक–31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन तथा बिहार वित नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के व्यय की जाएगी।

13. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक सलाहाकार की सहमति संचिका सं0– मु0 अ0–4 (मु0) रा0यो0–03–56/2020 के पृष्ठ संख्या– दिनांक–16.5.2020 को प्राप्त है।

14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं

15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित जाएगा।

16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में नियंत्री पदाधिकारीयों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की सभी निरीक्षी प्राधिकार भी उत्तरदायी माने जाएगें।

17. वित्त विभाग के पत्रांक–770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF के परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही ऋण स्वीकृति हेतु नाबार्ड को

18. इस योजना हेतु वित्त विभाग के संकल्प सं0 3758 दिनांक 31.05.2017 के कंडिका 10 के आलोक की विमुक्ति उदव्यय/बजट उपबंध के पश्चात ही की जा सकेगी।

विश्वासभाजन

22/5

(संजय
अपर सचिव

ज्ञापांक मु0 अ0–4 (मु0)–रा0यो0–03–56/2020 – 1501 /पटना,दिनांक–26/5

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/5
अपर सचिव

ज्ञापांक मु0 अ0–4 (मु0)–रा0यो0–03–56/2020 – 1501 /पटना, दिनांक–26/5

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/ विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत एवं मुंगेर/जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर एवं बेगूसराय/ विकास आयुक्त, समस्तीपुर एवं बेगूसराय/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्पावर्ड BRRDA,/मुख्य अभियंता–3, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु0 अ0–4 (मुख्यालय), ग्रा0 का0 वि0/अधीक्षण ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल, समस्तीपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर /मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मौर्या कम्पलेक्स, पॉचवी मंजिल) डाक बंगला रोड, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर करने हेतु प्रेषित। एम0 आई0 एस0 नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को स्टेट एम0 आई0 एस0 में प्रविष्टि हेतु प्रेषित

22/5
अपर सचिव

G.K